रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271825
CG-DL-E-15042026-271825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948
No. 266] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. पीआर/56ए/14/डीडी/94/2014/डीसी/721/2017.— चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने **सीए. योगेश परषोत्तम गोरी (सदस्यता संख्या 132809), 202, फॉर्च्यून प्लाजा परिसर सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 29 और 30, सेक्टर 19 ए, शक्ति मोटर्स एंड कमोडिटीज के पीछे, एक्सचेंज बिल्डिंग, वाशी, नवी मुंबई 400 705,** को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार और पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत अन्य कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उपर्युक्त **सीए. योगेश परषोत्तम गोरी (सदस्यता संख्या 132809)** के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। तत्पश्चात, अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित

होकर, प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के निबंधनानुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल की और अपीलीय प्राधिकरण ने अपील संख्या 24/आईसीएआई/2021, में तारीख 1 अप्रैल, 2023 को दिए गए अपने आदेश में अनुशासन समिति के आदेश की पुष्टि की । इसके बाद, प्रतिवादी ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने 28 जनवरी, 2026 के आदेश के माध्यम से अभियोजन न चलाने के कारण डब्ल्यूपी/5823/2023 को खारिज कर दिया। तदनुसार, अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में, जिसकी पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई है और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. योगेश परषोत्तम गोरी (सदस्यता संख्या 132809) का नाम 15 अप्रैल, 2026 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।**

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./35/2026-27]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. PR/56A/2014/DD/94/2014/DC/721/2017.— In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Yogesh Parshottam Gori (Membership No. 132809), 202, Fortune Plaza Premises co-operative Society Ltd., Plot No. 29 & 30, Sector 19 A, Behind Shakti Motors & Commodities, Exchange Building, Vashi, NAVI MUMBAI 400 705,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule and Other Misconduct falling within the meaning of Item (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Yogesh Parshottam Gori (Membership No. 132809)** from the Register of Members for a period of 01(One) year. Thereafter, aggrieved by the Order of the Disciplinary Committee, the Respondent approached the Appellate Authority in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority in appeal no. 24/ICAI/2021 vide its order pronounced on 1st April, 2023 has upheld the Order of the Disciplinary Committee. Thereafter, the Respondent filed a Writ Petition in the Hon'ble High Court of Bombay. The Court vide order dated 28th January, 2026 dismissed the WP/5823/2023 due to non-prosecution. Accordingly, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee which is also upheld by the Appellate Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Yogesh Parshottam Gori (Membership No. 132809), shall stand removed for a period of 01 (one) year with effect from 15th April, 2026.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./35/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA